343

457

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रामरूद्र तनय रामाधार गौतम निवासी रगौली तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र. .... **निगराकार**

बनाम

1–श्रीमती मायादेवी पत्नी स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम निवासी ग्राम रगौली तहसील उचेहरा जिला सतना म.प्र.

2–म.प्र.शासन द्वारा हल्का पटवारी कल्याणपुर तहसील मैहर जिला सतना म.प्र. .... **गैरनिगराकारगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50का.मा. विरूद्ध आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय मण्डल मैहर के प्रकरण क्र.57अ12/11–12 में *__पारित आदेश दिनांक–18.7.12.__*

मान्यवर,

उपरोक्त प्रसंग में निगराकार द्वारा निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

__संक्षिप्त तथ्य:–__

गैरनिगराकार क्र.1 द्वारा राजस्व निरीक्षक मैहर तहसील मैहर के समक्ष आराजी नं.398/1, 399/1 रकवा 0.125हे एवं 0.930हे.के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें सरहदी कृषक के रूप में निगराकार भी है । किन्तु सूचना पत्रक में किसी प्रकार की सूचना निगराकार को नहीं दी गई उक्त आराजी निगराकार एवं गैरनिगराकार क्र.1 के मध्य अर्सा पूर्व से एक साथ खेती कास्तकारी करते हुये आवाद थी जिसके कारण आज दिनांक तक यह निर्धारण भी नहीं हुआ था

रामरूद्र गौतम

...............2

(313)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांकनिग01337/2013/II जिला–सतना

रामरूद्र गौतम/श्रीमती माया देवी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सतानन्द पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मैहर के प्रकरण क्रमांक 57/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	